भाग-II

अध्याय IV

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) उपक्रमों के कार्यकलाप

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 को 28 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। ये राज्य पीएसयूज 1954-55 एवं 2015-16 के मध्य निगमित थे एवं इनमें 25 सरकारी कंपनियां एवं तीन सांविधिक निगम सम्मिलित थे अर्थात राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम। सरकारी कंपनियों में तीन[1] अकार्यरत कंपनियां एवं अन्य सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाली तीन[2] सहायक कंपनियां सम्मिलित थी। एक सरकारी कंपनी राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (अन्य राज्य पीएसयू आरएसएमएमएल की सहायक कंपनी) ने वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन 2017-18 तक प्रारम्भ नहीं किया था। इन 28 राज्य पीएसयूज के अलावा, दो राज्य पीएसयूज (दोनों सांविधिक निगम) नामित राजस्थान भूमि विकास निगम एवं राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम की लेखा परीक्षा सीएजी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है।

राज्य सरकार राज्य पीएसयूज को समय-समय पर पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इन 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने केवल 25 पीएसयूज में निवेश किया है जबकि राज्य सरकार ने तीन अन्य पीएसयूज जो कि अन्य सरकारी कंपनियों की संयुक्त उपक्रम/सहायक है, में निवेश नहीं किया है। इन तीन संयुक्त उपक्रमों/सहायक कंपनियों में संबंधित सहायक साझेदार /नियंत्रक कंपनी द्वारा पूँजी योगदान किया गया है।

---

1 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड जिन्होने अपना संचालन क्रमशः 2000-01, 2011-12 एवं 2016-17 से बंद कर दिया था।

2 राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड(राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) एवं एक निजी कम्पनी राजवेस्ट पावर लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम), आरएसएमएमएल के सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (10 जुलाई 2008 एवं 19 जनवरी 2007) एवं आरएसपीसीएल की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित (20 सितम्बर 2013) राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 पीएसयूज के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.1: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं राजस्थान के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	9273.10	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	12.19	22.84	6.85	10.24	3.68
राजस्थान की जीएसडीपी	551031.00	615695.00	683758.00	759235.00	840263.00
जीएसडीपी में पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	11.77	11.74	11.05	11.04	10.67
टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी से प्रतिशत	1.68	1.85	1.78	1.77	1.66

स्रोत: राजस्थान सरकार के 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार तथा कार्यरत पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं जीएसडीपी के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन पीएसयूज के टर्नओवर में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 3.68 प्रतिशत एवं 22.84 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राजस्थान के जीएसडीपी में वृद्धि 10.67 प्रतिशत एवं 11.77 प्रतिशत के मध्य रही। जीएसडीपी की पिछले पांच वर्षो के दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर[3] 11.25 प्रतिशत रही। वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 11.25 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि के विरूद्ध पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर में पिछले पांच वर्षों के दौरान 10.97 प्रतिशत की कम वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर्ज की गई । इससे जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 1.68 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2017-18 में 1.66 प्रतिशत हो गई।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 इनमें से कुछ पीएसयूज जो कि राज्य सरकार के स्तर पर निश्चित सेवाएं प्रदान करने में साध्य है जो कि निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से सेवाएं प्रदान करने में इच्छुक नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएसयूज के द्वारा ऐसे व्यापार क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है जिनमें

3 वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर [[{(2017-18 का मूल्य/2012-13 का मूल्य)^(1/5 वर्षों)}-1]*100] जिसमें 2012-13 के लिए टर्नओवर एवं जीसडीपी क्रमशः ₹ 8265.72 करोड़ एवं ₹ 493007 करोड़ है।

उसको निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धी परिवेश में कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार हम इन राज्य पीएसयूज की स्थिति को दो प्रमुख श्रेणियों में विश्लेषण कर रहें है अर्थात सामाजिक क्षेत्र एवं प्रतिस्पर्धी परिवेश में कार्यरत। इसके अतिरिक्त, इनमें से दो[4] राज्य पीएसयूज राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ठ कार्यकलाप पूरा करने के लिये निगमित की गई है जो कि 'अन्य' क्षेत्र में श्रेणीबद्ध है। इन 28 राज्य पीएसयूज में पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण के रूप में 31 मार्च 2018 को निवेश की स्थिति **अनुबंध-14** में दर्शाया गया है।

4.4 31 मार्च 2018 को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: राज्य पीएसयूज में (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	12	1872.65	1244.43	3117.08
प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र में पीएसयूज	14	1711.73	5682.29	7394.02
अन्य	2	5.49	0.00	5.49
कुल	**28**	**3589.87**	**6926.72**	**10516.59**

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक, 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 10516.59 करोड़ था। निवेश में पूँजी 34.14 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 65.86 प्रतिशत सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 27.96 प्रतिशत (₹ 1936.85 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण 72.03 प्रतिशत (₹ 4989.87 करोड़) था।

निवेश 27.77 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 के ₹ 8231.09 करोड़ से 2017-18 में ₹ 10516.59 करोड़ हो गया था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण में क्रमशः ₹ 372.79 करोड़ एवं ₹ 1912.71 करोड़ बढ़ने के कारण निवेश बढ़ा।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

4.5 वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले

4 राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड का निगमन क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्थान सरकार के लिए भवन निर्माण एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यों एवं राजस्थान सरकार के लिए अनुसूचित वायु परिवहन के लिए किया गया।

तीन वर्षों के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिस्वित ऋण एवं पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बारे में बजटीय जावक का विवरण का सारांश विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.3: वर्ष के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[5]	2015-16		2016-17		2017-18	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
अंश पूँजी की जावक (i)	1	58.87	-	-	-	-
दिये गये ऋण(ii)	5	421.02	3	180.10	5	280.22
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	10	412.80	7	339.76	8	961.76
कुल जावक (i+ii+iii)	13[6]	892.69	9[6]	519.86	12[6]	1241.98
अपलिस्वित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	1	4.12
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	2	1.70	-	-	1	49.45
गारंटी प्रतिबद्धता	4	2975.21	3	3165.77	3	3235.32

स्रोत: पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया हैं:

चार्ट 4.1: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय जावक

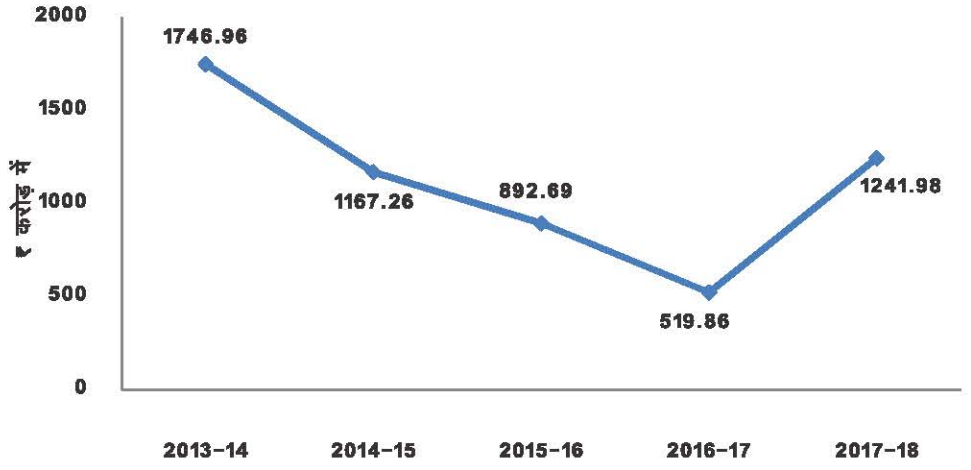

5 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

6 इन आंकड़ों में उन कम्पनियों की संख्या शामिल है जिनमें बजट से एक अथवा अधिक मदों में राशि प्राप्त हुई यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 519.86 करोड़ एवं ₹ 1746.96 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 1241.98 करोड़ की बजटीय सहायता में ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रुप में क्रमशः ₹ 280.22 करोड़ एवं ₹ 961.76 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान इन पीएसयूज को पूँजी सहायता प्रदान नहीं की। राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सब्सिडी प्राथमिक रूप से जनता को मुफ्त औषधियां एवं मुफ्त/रियायती यात्रा प्रदान करने के लिये थी। इसके अलावा, इसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) को राज्य सरकार की सुधारबद्ध योजना के अंतर्गत प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी सम्मलित है।

राजस्थान सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के तहत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के तहत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय (फरवरी 2011) किया। बकाया गारंटी प्रतिबद्धतायें 45.66 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 के ₹ 2221.08 करोड़ से 2017-18 में ₹ 3235.32 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान चार[7] राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा ₹ 34.24 करोड़ की गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

4.7 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अतंर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.4: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार पूँजी ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध मे बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अतंर
पूँजी	3074.78	3107.56	32.78
ऋण	1666.33	1936.85	270.52
गारण्टियां	3567.10	3235.32	331.78

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

7 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 28 राज्य पीएसयूज में से आठ पीएसयूज में इस तरह का अन्तर है जो कि **अनुबंध 15** में दिखाया गया हैं। आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अतंर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया। मुख्य रुप से अन्तर राजस्थान शहरी पेयजल सिवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड़ के शेषो में पाया गया है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार एवं पीएसयूज को अंतर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिए।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

4.8 कुल 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 25 कार्यरत पीएसयूज अर्थात 22 सरकारी कम्पनियां एवं तीन सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज 31 मार्च 2018 को सीएजी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी के लिए समय की पालना की स्थिति निम्न दर्शायी गयी है।

कार्यरत राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2017-18 के लिए इन सभी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए जाने थे। हालांकि, 22 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 10 सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2017-18 के लिए उनके लेखे सीएजी को लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2018 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किये थे जबकि 12 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। तीन सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम) में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन तीन सांविधिक निगमो में से दो सांविधिक निगमो के लेखे वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत कर दिये गये। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 को प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2018 को कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की संख्या	33	33	34	25	25
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	25	32	38	22	17
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रुप दिया गया	17	20	21	18	12
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	8	12	17	4	5
5.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	16	13	11	7	13

6.	बकाया लेखों की संख्या	24	25	19	9	17
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष से सात वर्ष	एक वर्ष से आठ वर्ष	एक वर्ष से पाँच वर्ष	एक वर्ष से दो वर्ष	एक वर्ष से तीन वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत पीएसयूज के लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

कुल कार्यरत 25 पीएसयूज में से 13 पीएसयूज ने 17 वार्षिक लेखों को 01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया जिसमे से 12 वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18 से संबंधित थे एवं पांच वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। आगे, 17 वार्षिक लेखे बकाया थे जो कि 13 पीएसयूज से संबंधित थे, जिनका विस्तृत विवरण **अनुबंध 16** में दिया गया है। इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागो पर हैं। संबंधित विभागो को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

राजस्थान सरकार ने 13 कार्यरत पीएसयूज जिनके लेखे कम्पनी अधिनियम 2013/राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नियम 1964 के अनुसार 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिये गये थे, में से छः पीएसयूज में ₹ 1109.04 करोड़ (ऋणः ₹ 210.12 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 898.92 करोड़) निवेश किया था जबकि शेष सात पीएसयूज में लेखो की बकाया अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लेखों की बकाया अवधि के दौरान पीएसयूवार निवेश का विवरण **अनुबंध 16** में दर्शाया गया है। यद्यपि, इन कार्यरत पीएसयूज में से वर्ष 2017-18 के लिए नौ[8] के लेखे अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिये गये एवं प्रस्तुत किये गये जबकि चार[9] कार्यरत राज्य पीएसयूज के आठ लेखे दिसम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

लेखों के अंतिमिकरण एवं इनकी अनुवर्त्ती लेखापरीक्षा के अभाव में शेष चार पीएसयूज में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही रूप से लेखांकित किये गये है एवं राशि के निवेश करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राज्य सरकार का इन पीएसयूज में निवेश, इसलिए, राज्य विधान सभा के नियंत्रण से बाहर बना रहता है।

अकार्यरत पीएसयूज के द्वारा लेखों के तैयारी में समयबद्धता

4.8.2 तीन अकार्यरत पीएसयूज के लेखे अंतिमिकरण हेतु बकाया थे जिनकी स्थिति नीचे दर्शायी गयी हैं

तालिका 4.6: अकार्यरत पीएसयूज के बकाया लेखों की स्थिति

क्र. सं.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15 से 2017-18
2	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2017-18
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2017-18

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत पीएसयूज के लेखों के आधार पर संकलित किया गया।

8 अनुबंध 16 के क्रम संख्या 1 से 9

9 अनुबंध 16 के क्रम संख्या 10 से 13

इन अकार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज नामित राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2017-18 के लेखे अंतिमिकरण किये गये एवं अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये गये जबकि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लेखे दिसम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

सांवधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

4.9 तीन कार्यरत सांविधिक निगमो में से दो निगमो ने वर्ष 2017-18 के लिए उनके लेखे 30 सितम्बर 2018 तक अग्रेषित किये ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते है। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों की स्थिति एवं उनके एसएआर के विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति निम्न वर्णित है:

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों की वर्ष	एसएआर के पटल पर रखे जाने का माह
राजस्थान वित्त निगम	2016-17	फरवरी 2018
राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	2016-17	फरवरी 2018
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	सितम्बर 2018
	2016-17	पटल पर रखे जाना शेष है

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित किया गया।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

4.10 जैसा कि अनुच्छेद 4.8 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2017-18 में राज्य की जीडीपी में योगदान का आकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

4.11 नवीनतम अंतिम रूप दिए गए उनके लेखों के अनुसार 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की 30 सितंबर 2018 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम **अनुबंध–17** में दिये गये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को निवेश की राशि ₹ 10516.59 करोड़ थी जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3589.87 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 6926.72 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 पीएसयूज में राजस्थान सरकार का निवेश ₹ 5044.41 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1936.85 करोड़ सम्मिलित थे।

राजस्थान सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 4.2: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राजस्थान सरकार का कुल निवेश

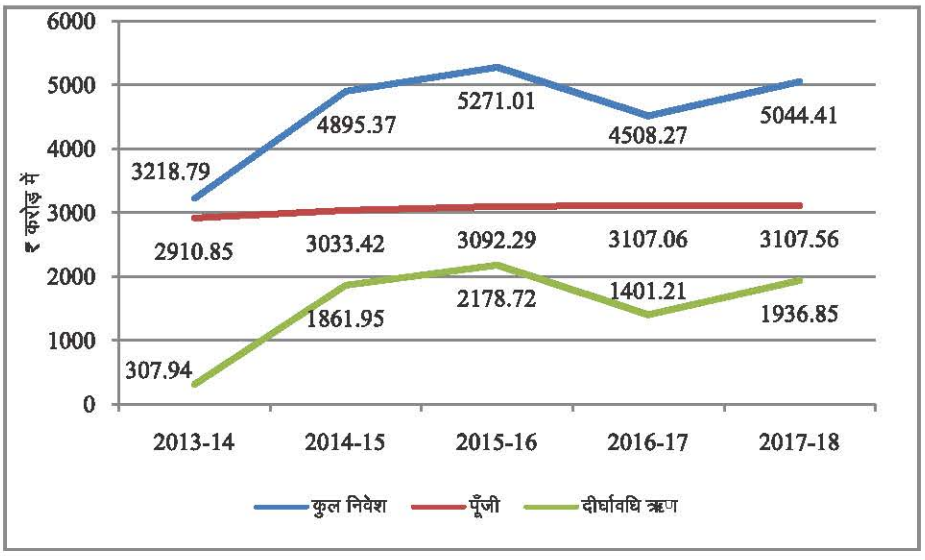

कंपनी की लाभदायकता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को शेयर धारको की निधि से विभाजित करके की जाती है।

निवेश पर प्रतिफल

4.12 निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि[10] की समग्र स्थिति को एक चार्ट में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: वर्षो के दौरान राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि

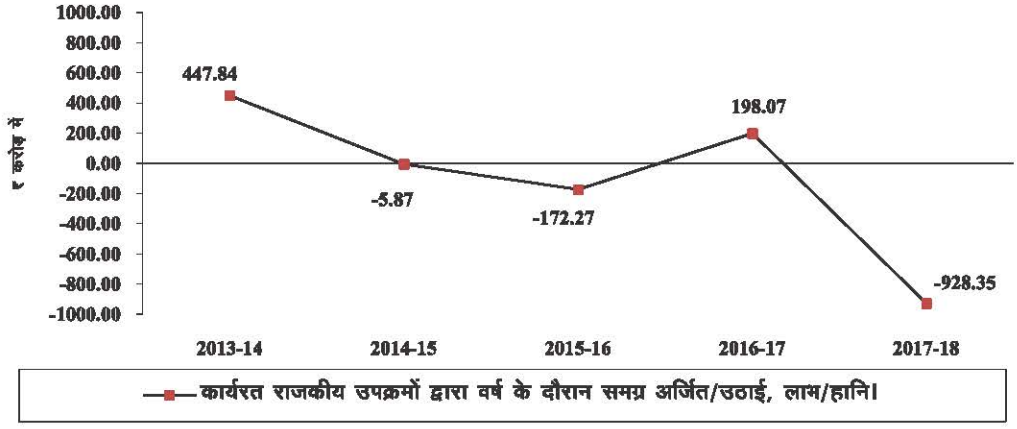

इन कार्यरत पीएसयूज द्वारा 2013-14 में ₹ 447.84 करोड़ के अर्जित लाभ के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हानि में अधिक वृद्धि के कारण 2017-18 में ₹ 928.35 करोड़ की हानि वहन की गई। वर्ष 2017-18 के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, इन 25 कार्यरत राज्य पीएसयूज में से 19 पीएसयूज ने ₹ 350.08 करोड़ का लाभ कमाया एवं छः पीएसयूज ने ₹ 1278.43 करोड़ की हानि वहन की जो कि **अनुबंध-17** में दर्शाया गया है।

शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 142.94 करोड़), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 109.68 करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 23.51 करोड़) जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 1169.76 करोड़) एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 90.12 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

2013-14 से 2017-18 के दौरान 31 मार्च 2018 को कार्यरत 25 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा 2013-14 से 2017-18 के दौरान अर्जित/उठाई, लाभ/हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	पीएसयूज(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाये गये पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान पीएसयूज की संख्या जिनकी मामूली लाभ/हानि थे
2013-14	25	14	11	-

10 आंकड़े संबंधित वर्ष के नवीनतम अंतिम लेखो पर आधारित है।

2014-15	25	17	7	1
2015-16	25	18	6	1
2016-17	25	19	6	-
2017-18	25	19	6	-

(अ) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

4.13 राज्य के 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने पूँजी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश **केवल 25 पीएसयूज** में किया है। सरकार ने इन 25 पीएसयूज में ₹ 5044.41 करोड़ का निवेश किया है, जिसमे पूँजी के रूप में ₹ 3107.56 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1936.85 करोड़ सम्मिलित है।

पीएसयूज द्वारा निवेश पर प्रतिफल की गणना राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में पीएसयूज में किये गये निवेश के आधार पर की गई है। ऋण के संबंध में केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इस प्रकार के ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है एवं पुनर्भुगतान की नियम एवं शर्तो के अनुसार ऋण की वापसी के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, इस प्रकार यह सरकार के द्वारा किये गये पूँजी निवेश के प्रकृति के है। इस प्रकार, इन 25 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश की गणना पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण को सम्मिलित करते हुए की गई है एवं जिन प्रकरणों में ब्याज मुक्त ऋण पीएसयूज के द्वारा वापस कर दिये गये है, निवेश की मूल्य की गणना अवधि के दौरान ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (पीवी) के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषो के आधार पर की गई है जैसा की तालिका 4.9 में दर्शाया गया है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है।

राज्य सरकार की इन 25 पीएसयूज में 31 मार्च 2018 को पूँजी ₹ 3107.56 करोड़ थी। अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण के घटाये गये शेषो के आधार पर निस्तारित किये गये दीर्घावधि ऋण ₹ 1936.85 करोड़ में से ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1322.26 करोड़ थे। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा 25 पीएसयूज में किया गया निवेश ऐतिहासिक लागत के आधार पर ₹ 4429.82 करोड़ (₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1322.26 करोड़) था।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.9: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार वर्षवार ब्यौरा	वर्ष के लिए कुल आय	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में धन का किया गया निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (%)
2013-14			
सामाजिक क्षेत्र	5.25	1718.47	0.31
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	474.93	1424.96	33.33
अन्य	-0.02	4.99	-0.40

कुल	**480.16**	**3148.42**	**15.25**
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	29.09	2900.86	1.00
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	4.41	1572.53	0.28
अन्य	-0.33	4.99	-6.61
कुल	**24.30**	**4478.38**	**0.54**
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	-51.48	2953.80	-1.74
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-106.99	1839.40	-5.82
अन्य	-0.21	4.99	-4.21
कुल	**-158.68**	**4798.19**	**-3.31**
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88
अन्य	-0.19	4.99	-3.81
कुल	**190.46**	**4001.64**	**4.76**
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	-56.98	2397.33	-2.38
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-870.71	2027.00	-42.96
अन्य	-0.19	5.49	-3.46
कुल	**-927.88**	**4429.82**	**-20.95**

राज्य सरकार के निवेश की गणना इन पीएसयूज की कुल आय[11] को राज्य सरकार की निवेश की लागत से विभाजित करके की गई है। राज्य सरकार के निवेश पर कमाया गया प्रतिफल 2013-14 से 2017-18 की अवधि में -20.95 प्रतिशत एवं 15.25 प्रतिशत के मध्य था। समग्र रूप से 2015-16 एवं 2017-18 की अवधि में प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2015-16 में -₹ 754.10 करोड़ एवं 2017-18 में -₹ 1169.76 करोड़) एवं सामाजिक क्षेत्र में जयपुर रेल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2015-16 में -₹ 90.20 करोड़ एवं 2017-18 में -₹ 90.12 करोड़) के भारी हानि उठाने के कारण राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल अस्थिर प्रवृति को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से प्रतिफल मुख्यतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के हानियों में बढोतरी एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की लाभों में कमी के कारण 2013-14 की 33.33 प्रतिशत से काफी हद तक घट कर 2015-16 में -5.82 पर आ गया है। इस क्षेत्र ने आगे काफी हद तक घटने एवं आरएसआरटीसी के क्रमशः 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान हानियों में बढोतरी के कारण 2016-17 (8.88 प्रतिशत) एवं 2017-18 (-42.96 प्रतिशत) के दौरान अस्थिर प्रतिफल दर्ज किया।

11 इस में उन राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, से संबंधित वर्ष की शुद्ध आय/हानि सम्मिलित है।

(ब) निवेश के वर्तमान मुल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

4.14 25 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के निवेश के संबंध में इन पीएसयूज की लाभदायकता की गणना करने के लिये कुल आय का एक विश्लेषण किया गया है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना राजस्थान सरकार के राज्य पीएसयूज में निवेश की वर्तमान मूल्य की प्रतिफल की दर का पता लगाने के लिए सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, पूर्व निवेश/वर्षवार राज्य सरकार द्वारा राज्य पीएसयूज में डाला गया धन को वर्षवार सरकारी उधार की औसत ब्याज दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की धन की न्यूनतम लागत है, पर चक्रवृद्धि किया गया है। इस प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 राज्य पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश किया गया है, में राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना इन कंपनियों की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक की गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन 25 पीएसयूज में निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान धनात्मक था। निवेश पर प्रतिफल की, इसलिए, इन तीन वर्षो की गणना की गई है एवं पीवी के आधार पर दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा 25 उपक्रमों में निवेशित धन राशि पर वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किये गये धन का निवेश माना गया है। यद्यपि, पीएसयूज द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान के संबंध में, अवधि के दौरान पीवी की गणना ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषो पर की गई है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिये गये धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है जैसा कि पैरा 4.6 में सब्सिडी की प्रकृति को दर्शाया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[12] के लिये राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया है क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया जा सकता है।

---

12 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100।

इन 25 कंपनियों ने 2015-16 एवं 2017-18 के लिए हानि वहन की थी, हानि के कारण पूँजी का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। कंपनियों के पूँजी के क्षरण को पैरा 4.17 में टिप्पणी की गई है।

4.15 इन 25 राज्य पीएसयूज में 2000-01 से 2017-18 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के धन के निवेश की पीएसयूज वार स्थिति **अनुबंध-18** में इंगित की गई है। आगे, इन राज्य पीएसयूज में समान अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की पीवी एवं कुल लाभदायकता की समेकित स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

तालिका 4.10: 2000-01 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण[13]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल[14]	वर्ष के लिए कुल लाभ[15]
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+vi)/100}	ix={vii*vi)/100}	x
1999-2000 तक	**-**	**412.44**	**36.80**	**449.24**	**10.40**	**1164.89**	**1286.04**	**-**	**-**
2000-01	1286.04	2.76	-0.49	2.27	10.50	1288.31	1423.58	135.27	-57.88
2001-02	1423.58	0.20	-3.34	-3.14	10.50	1420.44	1569.59	149.15	-45.92
2002-03	1569.59	6.05	-3.52	2.53	10.00	1572.12	1729.33	157.21	-18.61
2003-04	1729.33	134.46	-0.84	133.62	9.60	1862.95	2041.80	178.85	10.85
2004-05	2041.80	29.46	-12.06	17.4	9.10	2059.20	2246.59	187.39	133.45
2005-06	2246.59	14.89	-5.51	9.38	8.20	2255.97	2440.95	184.98	208.73
2006-07	2440.95	1.30	-0.39	0.91	8.30	2441.86	2644.54	202.68	259.05
2007-08	2644.54	7.50	-0.85	6.65	8.00	2651.19	2863.28	212.09	365.80
2008-09	2863.28	3.87	-0.69	3.18	7.70	2866.46	3087.18	220.72	295.26

13 कॉलम में दर्शाये गये ब्याज मुक्त ऋण की ऋणात्मक आंकडे संबंधित वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार को ऋण का पुर्नभुगतान दर्शाते है।

14 वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मुल्य - वर्ष के अंत में कुल निवेश।

15 वर्ष के लिए कुल निवेश संबंधित वर्ष के लिए उन 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है। यदि किसी पीएसयू के वर्ष के दौरान वार्षिक लेखे बकाया है, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/हानि) संबंधित पीएसयूज के नवीनतम वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार ली गई है।

2009-10	3087.18	19.56	-0.72	18.84	7.70	3106.02	3345.19	239.17	136.85
2010-11	3345.19	203.95	-0.31	203.64	7.70	3548.83	3822.09	273.26	276.54
2011-12	3822.09	416.63	-5.79	410.84	7.70	4232.93	4558.86	325.93	751.69
2012-13	4558.86	813.61	102.98	916.59	7.40	5475.45	5880.63	405.18	706.21
2013-14	5880.63	844.17	132.30	976.47	7.30	6857.10	7357.67	500.57	480.16
2014-15	7357.67	122.57	1207.38	1329.95	7.50	8687.62	9339.19	651.57	24.30
2015-16	9339.19	58.87	260.95	319.82	6.70	9659.01	10306.17	647.16	-158.68
2016-17	10306.17	14.77	-811.32	-796.55	7.60	9509.62	10232.35	722.73	190.46
2017-18	10232.35	0.50	427.68	428.18	7.30	10660.53	11438.75	778.22	-927.88
कुल		**3107.56**	**1322.26**	**4429.82**					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन पीएसयूज में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 1999-2000 में ₹ 449.24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के अंत में ₹ 4429.82 करोड़[16] हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने 2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान पूँजी (₹ 2695.12 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 1285.46 करोड़) के रूप में धनराशि निवेश की थी। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों की पीवी 31 मार्च 2018 को ₹ 11438.75 करोड़ आता है। 2000-01 से 2017-18 के दौरान, वर्ष के लिए कुल लाभ इन पीएसयूज में से चार[17] पीएसयूज के भारी हानि वहन करने के कारण 2000-01 से 2004-05, 2009-10 एवं 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए धन निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा है। आगे, समस्त अवधि (2000-18) के दौरान अन्य तीन पीएसयूज[18] द्वारा अर्जित लाभ इन चार पीएसयूज के हानियों से बराबर हो जाता है, जिससे कि कुल लाभ इन सभी पीएसयूज के न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहता है।

तीन लाभ अर्जन करने वाली पीएसयूज अर्थात रीको,आरएसएमएम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम जिन्होने 2000 से 2018 के मध्य लाभ अर्जित किया था, का अग्रिम विश्लेषण दर्शाता है कि यह पीएसयूज बाजार में इनकी एकाधिकारी अनुकूल परिस्थिति के कारण लाभ अर्जित कर सके थे जैसा कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा भूमि का आवंटन करने से पर्याप्त आय का अर्जन किया जो कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि रियायती दरों पर अधिग्रहण करने की अनुमति देने का परिणाम है एवं यह राज्य में एक मात्र संस्था है, जिसे संस्थानिक उद्देश्य के लिए भूमि का विकास एवं आवंटन करने का अधिकार है; राजस्थान स्थान एवं स्थनिज लिमिटेड द्वारा रॉक फोस्फेट के विक्रय से महत्वपूर्ण राजस्व का अर्जन किया जाता है, कम्पनी की इस स्थनिज में देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत का योगदान करती है एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (निगम) एक मात्र उपक्रम है जो राज्य में राज्य सरकार की ओर से गेहूँ का प्रापण करती है एवं इसके लिए राज्य सरकार से कमीशन (भण्डारण शुल्क) की प्राप्ति करती

16 ₹ 4429.82 करोड़ = ₹ 3107.56 करोड़ + ₹ 1322.26 करोड़

17 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2000-18), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2009-18),जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2011-18),राजस्थान वित्त निगम (2009-10)

18 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्थान एवं स्थनिज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम लिमिटेड।

है एवं इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) द्वारा फसलों का भण्डारण करने से महत्वपूर्ण भण्डार शुल्क का अर्जन करती है।

4.16 वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा इन पीएसयूज में किये गये निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था, राज्य सरकार के धन पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिफल की तुलना नीचे तालिका में दर्शाया गयी है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की धनराशि पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार ब्योरा	वर्ष के लिए कुल आय	राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया निवेश	राज्य सरकार के निवेश का ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (%)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार की निधियों का वर्तमान मूल्य	राज्य सरकार की निधियों पर वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर प्रतिफल (%)
2013-14					
सामाजिक क्षेत्र	5.25	1718.47	0.31	2220.22	0.24
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	474.93	1424.96	33.33	5131.00	9.26
अन्य	-0.02	4.99	-0.40	6.45	-0.31
कुल	**480.16**	**3148.42**	**15.25**	**7357.67**	**6.53**
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	29.09	2900.86	1.00	3657.80	0.80
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	4.41	1572.53	0.28	5674.46	0.08
अन्य	-0.33	4.99	-6.61	6.94	-4.76
कुल	**24.30**	**4478.38**	**0.54**	**9339.20**	**0.26**
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	14.05	2008.15	0.70	3242.76	0.43
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	176.60	1988.50	8.88	6981.62	2.53
अन्य	-0.19	4.99	-3.81	7.97	-2.38
कुल	**190.46**	**4001.64**	**4.76**	**10232.35**	**1.86**

राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल 2013-14 में 15.25 प्रतिशत था, यह 2014-15 में 0.54 प्रतिशत तक घटा एवं तत्पश्चात 2016-17 के दौरान 4.76 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि राज्य सरकार के धन पर वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर समान अवधि के लिए प्रतिफल 6.53 प्रतिशत, 0.26 प्रतिशत एवं 1.86 प्रतिशत था। आगे, इसी अवधि के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल क्रमशः 33.33 प्रतिशत, 0.28 प्रतिशत एवं 8.88 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र से प्रतिफल केवल 9.26 प्रतिशत, 0.08 प्रतिशत एवं 2.53 प्रतिशत निकाला गया।

निवल मूल्य का क्षरण

4.17 प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ अथवा हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए

मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। इन 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में **अनुबंध–17** में दिये गये विवरणानुसार पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 3533.39 करोड़ एवं ₹ 1112.02 करोड़ थे जिससे कि ₹ 2.22 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात निवल मूल्य ₹ 2419.15 करोड़ आता है । निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 28 पीएसयूज में से 10 में निवल मूल्य का क्षरण हो गया है जैसे कि इन 10 पीएसयज़ में पँजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 747.91 करोड़ एवं ₹ 4968.45 करोड़ था। इन 10 पीएसयूज में से, मुख्य रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 4000.31 करोड़), राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 123.10 करोड़), राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 47.20 करोड़) एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 17.55 करोड़) में निवल मूल्य का क्षरण हुआ था। इन 10 पीएसयूज जिनका निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया है, में से छः[19] पीएसयूज ने वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया है यद्यपि इनकी पर्याप्त मात्रा में संचित हानियां थी।

आगे ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 कंपनियों जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधा निवेश किया गया है, की कुल प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को नीचे तालिका में इंगित किया गया है:

तालिका 4.12 : वर्ष 2013–14 से 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 25 कंपनियों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में लाभ (+)/ हानि (-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	2847.54	489.39	0.00	3336.93
2014-15	2046.90	-166.41	0.00	1880.49
2015-16	2105.77	-81.78	0.00	2023.99
2016-17	3373.23	26.05	6.24	3393.04
2017-18	3372.42	-1075.18	2.22	2295.02

यह देखा जा सकता है कि इन कंपनियों का निवल मूल्य अवधि के दौरान अस्थिर रहा है। यह 2013-14 के ₹ 3336.93 करोड़ से घट कर 2017-18 में ₹ 2295.02 करोड़ आ गया।

19 वर्ष 2017-18 के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं वर्ष 2016-17 के लिये राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड ।

वर्ष 2013-14 के दौरान 25 पीएसयूज में से 15 पीएसयूज[20] ने धनात्मक निवल मूल्य एवं 10[21] पीएसयूज ने ऋणात्मक निवल मूल्य को प्रदर्शित किया। यद्यपि, 2014-15 से 2017-18 के दौरान एक पीएसयू नामित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निवल मूल्य धनात्मक हो गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कम्प्यूटर व्यय (₹ 19.32 करोड़) असाधारण मद के रूप में अपलिखित करने के कारण संबंधित वर्ष के लिए कम्पनी की हानियां (₹ 12.53 करोड़) कम्पनी की प्रदत्त पूँजी (₹ पांच करोड़) से अधिक होने के कारण निवल मूल्य का 2013-14 के दौरान क्षरण हो गया। 2015-16 के दौरान राज्य सरकार से प्रापण औषधियों के लागत के अतिरिक्त कमीशन प्राप्ति के कारण बाद के वर्षो में लाभ अर्जन करने से कम्पनी का निवल मूल्य धनात्मक हो गया।

इस प्रकार, 2014 -15 से 2017-18 के दौरान, 16 पीएसयूज ने धनात्मक निवल मूल्य प्रदर्शित किया जबकि नौ पीएसयूज का निवल मूल्य ऋणात्मक था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आठ[22] पीएसयूज का निवल मूल्य घटा जबकि 16[23] पीएसयूज के

---

20 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम।

21 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

22 जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड ।

23 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड , राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

संदर्भ में यह बढ़ा एवं एक पीएसयू यथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के संदर्भ में यह समान रहा।

लाभांश का भुगतान

4.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार (सितंबर 2004) की थी जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लाभ अर्जन करने वाली कंपनियों को प्रदत्त शेयर पूँजी पर दस प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजीगत निवेश किया है, अवधि के दौरान लाभांश का भुगतान निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाले पीएसयूज		वर्ष के दौरान पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश / भुगतान		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित लाभांश/ भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2013-14	25	2910.85	14	751.10	6[24]	21.28	2.83
2014-15	25	3033.42	16	884.23	7[25]	60.19	6.81
2015-16	25	3092.29	17	949.74	7[25]	94.38	9.94
2016-17	25	3107.06	19	970.27	7[25]	62.14	6.40
2017-18	25	3107.56	19	970.27	5[26]	59.25	6.11

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या 14 एवं 19 के मध्य थी। इसी अवधि में राजस्थान सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या पांच एवं सात के मध्य थी।

---

24 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड।

25 राजस्थान राज्य स्पान एवं स्पनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड।

26 राजस्थान राज्य स्पान एवं स्पनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

लाभांश भुगतान अनुपात 2013-14 से 2017-18 के दौरान केवल 2.83 प्रतिशत एवं 9.94 प्रतिशत के मध्य रहा। अग्रिम विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) ने 1962-63 से लाभांश की घोषणा/भुगतान किया है एवं लाभांश भुगतान अनुपात 1962-63 में 2.24 प्रतिशत से बढ कर 2017-18 में 6.11 प्रतिशत हो गया।

2017-18 के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली पांच पीएसयूज में से, तीन[27] पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि एक[28] पीएसयू ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया एवं केवल एक[29] पीएसयू ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

पूँजी पर प्रतिफल

4.19 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा शेयरधारको की निधि का उपयोग लाभो के सृजन करने में किस प्रभाव से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कंपनी में की जा सकती है, यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारको की निधि दोनों धनात्मक संस्थायें है।

कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारको के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारको की निधि दर्शाती है कि कंपनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारको की निधि का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक है।

पूँजी प्रतिफल की गणना 25 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के शेयरधारको की निधि एवं आरओआई का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.14: 25 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है, से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारको की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2013-14	480.16	3336.93	14.39
2014-15	24.30	1880.49	1.29
2015-16	-158.68	2023.99	-

27 **अनुबंध 17** के क्रम संख्या 10, 17 एवं 25 पर वर्णित पीएसयूज।

28 **अनुबंध 17** के क्रम संख्या 15 पर वर्णित पीएसयू।

29 **अनुबंध 17** के क्रम संख्या 4 पर वर्णित पीएसयू।

2016-17	190.46	3393.04	5.61
2017-18	-927.88	2295.02	-

मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षो के दौरान, शुद्ध आय 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान धनात्मक थी एवं इन वर्षो के दौरान आरओई 1.29 प्रतिशत एवं 14.39 प्रतिशत की सीमा के मध्य थी। जिस प्रकार इन पीएसयूज की 2015-16 एवं 2017-18 में शुद्ध आय ऋणात्मक थी, इन पीएसयूज के संबंध में आरओई की गणना इस अवधि के लिए नहीं की जा सकी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.20 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है। आरओसीई की गणना एक कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[30] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान **समस्त 28 राज्य पीएसयूज के आरओसीई** (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.15: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2013-14	637.17	8055.06	7.91
2014-15	326.78	10198.16	3.20
2015-16	255.15	9462.39	2.70
2016-17	669.34	10331.41	6.48
2017-18	-1198.35	9173.50	-13.06

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन राज्य पीएसयूज का आरओसीई -13.06 प्रतिशत से 7.91 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें काफी कमी हुई एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2017-18 के दौरान हानियों में वृद्धि हो जाने के कारण आरओसीई ऋणात्मक हो गयी।

पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 पीएसयूज जिनमे 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋण थे, में दीर्घावाधि ऋणों का विश्लेषण कंपनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान करने के लिए कंपनियों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण आवर्त अनुपात के माध्यम से किया गया है

30 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां - स्थगित राजस्व व्यय । आंकडे पीएसयूज के नवीनतम वर्ष जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

4.22 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को उसी अवधि के ब्याज स्वर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.16: जिन राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में ऋण का भार है, में ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिन पर सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का ऋण	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	191.43	686.95	17	11	6[31]
2014-15	334.09	89.31	14	09	5[32]
2015-16	428.86	210.80	19	15	4[33]
2016-17	472.62	577.56	19	14	5[34]
2017-18	475.35	-1233.10	20	15	5[34]

वर्ष 2017-18 के दौरान जिन 20 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में सरकार के साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है, 15 पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है जबकि शेष पाँच पीएसयूज में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है

---

31 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

32 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

33 राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

34 जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

जो कि यह दर्शाता है कि यह पाँच पीएसयूज इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर पा रहे थे।

ऋण आवर्त अनुपात

4.23 गत पांच वर्षो के दौरान, इन 28 पीएसयूज के टर्नओवर में 10.97 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 16.66 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे की ऋण आवर्त अनुपात 2013-14 में 0.54 से सुधर कर 2017-18 में 0.50 हो गया जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.17: राज्य पीएसयूज से संबंधित ऋण आवर्त अनुपात (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	5014.01	7235.85	7281.07	6829.12	6926.72
टर्नओवर	9273.10	11390.91	12171.63	13417.48	13911.21
ऋण आवर्त अनुपात	0.54:1	0.64:1	0.60:1	0.51:1	0.50:1

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण आवर्त अनुपात 0.50 से 0.64 की सीमा के मध्य रहा है। संचित हानि समग्र रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संचित हानियों में वृद्धि हो जाने के कारण वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक बढ गई।

अकार्यरत पीएसयूज का समापन

4.24 28 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से तीन कंपनियां अकार्यरत थी जिनमें 31 मार्च 2018 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालीन ऋणों (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़ (राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड में ₹ 22.28 करोड़, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड में ₹ 4.49 करोड़ एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.27 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 4.18: अकार्यरत पीएसयूज

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	3	3	3	3	3

स्रोतः संबंधित वर्ष के सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार एवं अनुबंध 15 के आधार पर संकलित

इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। चूंकि ये तीन अकार्यरत पीएसयूज गत दो से 18 वर्षों से असंचालित है अतः सरकार को इन पीएसयूज के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिये।

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों पर टिप्पणियाँ

4.25 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक तेरह कार्यरत कम्पनियों ने अपने 14 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 10 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है।

तालिका 4.19: कार्यरत कंपनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र .सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	28.74	1	0.06	3	23.91
2.	लाभ में वृद्धि	4	7.02	3	3.91	1	4.43
3.	हानि में वृद्धि	2	2.21	1	0.09	-	-
4.	हानि में कमी	1	0.74	-	-	1	3.43
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	2.98	3	6.23	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	50.33	3	16.66	1	9.74

स्रोतः सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि तीन लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के पांच मामले इंगित किये गये।

4.26 राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात (i) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), (ii) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) एवं (iii) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (आरएफसी एवं आरएसडब्ल्यूसी) ने वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखे प्रेषित किये जबकी आरएसआरटीसी ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 के दौरान वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखे प्रेषित किये। सभी तीन लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किये गये। आरएफसी के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखो पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया। तत्पश्चात, आरएफसी के वर्ष 2016-17 के लेखों पर सीएजी द्वारा 'सत्य एवं उचित' नहीं का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	31.59	1	49.81	2	55.46
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	2364.69	1	1658.39	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	1	464.82
5.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	1819.89	1	7404.63	1	1100.00
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	81.00	2	83.00	1	2.00

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर संकलित

अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद

4.27 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) से संबंधित दो लेखापरीक्षा अनुच्छेद, दो सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। दोनों अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो गये थे तथा अनुच्छेद को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रख लिया गया था। इन अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 43.35 करोड़ है।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

4.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे।

तालिका 4.21: पीएसयूज ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर बकाया स्पष्टीकरण टिप्पणियों की स्थिति (30 सितम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीएज) एवं अनुच्छेद		पीएज/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2016-17	27.02.2018	-	5	0	2

स्रोत: राजस्थान सरकार के संबंधित विभागो से प्राप्त स्पष्टिकरण टिप्पणियों के आधार पर संकलित

दो[35] अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्पष्टीकरण टिप्पणियां सितम्बर 2018 तक दो विभागों से लंबित थी। हालांकि, दोनों विभागो से नवम्बर 2018 में स्पष्टीकरण टिप्पणीयां प्राप्त हो गई।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

4.29 30 सितम्बर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित पीएसयूज से संबंधित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 4.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2018 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	1	8	-	7
2016-17	-	5	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित

वर्ष 2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

4.30 मार्च 2017 एवं फरवरी 2018 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के तीन प्रतिवेदनों पर राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) कार्यवाही विषयक टिप्पणियां प्राप्त (30 सितम्बर 2018) नहीं हुई थी जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.23: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिश की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2016-17	1	12	12
2017-18	2	11	11

स्रोत: कोपू की सिफारिशों पर राजस्थान सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यवाही विषयक टिप्पणियों के आधार पर संकलित

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के लिये भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित थी। कोपू के इन तीन प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिशों पर कार्यवाही विषयक टिप्पणियां नवम्बर 2018 में प्राप्त हुई।

35 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड प्रत्येक से संबंधित एक-एक अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर।